

Attachement 2.18

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम फारकोट से डडुवागाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.046 हे०
आरक्षित, 1.564 हे० सिविल, कुल 2.610 हे० वन भूमि का लोक
निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले
वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने
के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)


प्रभारी वन अधिकारी
प्रशासिक वन प्रभाग, गोपेश्वर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)


वन क्षेत्राधिकारी
स्थायी पिण्डर राई
नारायणगढ़